

15.5.12

पत्रावली राष्ट्रिय लोक अदालत कमिश्नर-  
 न्याय कापके झर 2012 से झाल लेवा  
 केन्द्र निम्बलकोत मे पेश हुई लोक  
 अदालत नोटीस काड लामिल शामिल  
 मिलल किजे गये। याकी वकील उपहित/  
 हानगत उक्तरण मे उचियापी स. 3 से 6  
 के सिद्ध पूर्व मे ही एकराया कायवाब  
 पारीत हो ररवी है। कोर विद्यापी 1.1.6  
 2 एवं इनके कायवेकता कावप्युड रूपन  
 के अनुपस्थित हैं। कोर विद्यापी 1.1.6.2  
 को पूर्व मे प्राप्त कबल-दिने जाते  
 के उपरांत की आंदिगाड तक कायवाब  
 पेटा कबी किमा गपा हो कात: विद्यापी  
 का कायवाब बन्द किमा जाता है।  
 याकी वकील की बहल ररुनी गई।  
 कोर बहल पर मतन किमा तथा  
 पत्रावली पर उपलब्ध राष्ट्रिय रीकार्ड  
 एवं इस्लामेजात का गम्भीरता पूर्वक  
 कवलोकन किमा गपा। रपरने कापा,  
 कि हानगत उक्तरण मे उल्लेखित  
 झपी पर कबलदिन (कागत कादेला  
 पारी हो ररण है) एवं मूलवाद  
 न्यायालय मे विचारवाहीत चल रहा है।  
 यदि दोराने विचारण काड कबलदिन  
 हानगत काडेला एकाजा जाता है, तो

सहायक कमिस्टर  
SDC मिन्धारी

छात्री को अनुपस्थिति जारी होगी /  
 एक वाद के आरंभ के भी दिगीया कहेगी  
 य वादग्रस्त छात्र पर मोफे की  
 शिस्त को जेहा भी वाड-खिवाद  
 खने की संभावना रहेगी / ऐसी शिस्त  
 के न्यायालय हरि यारी (खगत)  
 आदेश को मूलवाद के निर्णय तक  
 प्रवर्तन किया जागा उचित धर्त  
 होता है)

श्रीलया छात्री का आवेदन  
 स्वीकार किया जाकर न्यायालय (DR)  
 यारी अन्तर्गत स्वयंसेवक आदेश दिनांक  
 15.6.2016 को मूलवाद के निर्णय तक  
 प्रवर्तन किया जाता है)

आदेश तय्यमे काम लुगाया गया।  
 पत्रावली केवल सुचारु चेर दारखत  
 दफतर से।

जिम्  
 15/5/17  
 सहायक क्लर्क  
 SDC सिन्धरी